



कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

दूरभाष (का.) 07868 -241222 (नि.) 222288, फैक्स (का.) 241801 (नि.) 222960

--: आदेश ::--

(दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत)

क्रमांक/कले/SW/2020/ 990

कांकेर, दिनांक 29 मई, 2020

नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक/कले/SW/2020/ 895 कांकेर, दिनांक 17 मई, 2020 के द्वारा जिले में केवल स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड दुकान/प्रतिष्ठानों को सोमवार से शुक्रवार तक (शनिवार एवं रविवार को लॉकडाउन रखते हुए) निर्धारित समय में संचालन की अनुमति दी गई थी ।

छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार शनिवार एवं रविवार को पूर्णतः लॉकडाउन को समाप्त करते हुए कन्टैमेंट जोन को छोड़कर जिले में अनुमति प्राप्त दुकान/प्रतिष्ठानों को (सप्ताह में एक दिन मंगलवार को बंद रखते हुए) प्रातः 08.00 बजे से सांय 06.00 बजे तक संचालन की अनुमति दी जाती है ।

नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव हेतु शासन एवं इस कार्यालय से पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश की शर्तें यथावत रहेगी ।

○ जिले में दिनांक 18.05.2020 से दिनांक 17.08.2020 तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (1) प्रभावी है, जिसके तहत कांकेर जिला अंतर्गत सांय 7.00 बजे से प्रातः 7.00 बजे की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति अनावश्यक परिभ्रमण नहीं करेगा एवं मूहमेंट पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । आवश्यक गतिविधियों के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमति दी जावेगी ।

टीप:- उपरोक्त आदेश का उल्लंघन किए जाने की दशा में ऐपिडेमिक एक्ट 1897, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 144 (1), पब्लिक एक्ट 1949, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, छत्तीसगढ़ ऐपिडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनियम 2020 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत जैसे लागू हो, के अंतर्गत विधिक दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

(के. एल. चौहान)

कलेक्टर

एवं जिला दण्डाधिकारी

जिला उत्तर बस्तर कांकेर

“गढ़बो नवा छत्तीसगढ़”

-2-

पृ. क्रमांक/कले/SW/2020/990-A

कांकेर, दिनांक 29 मई, 2020

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. आयुक्त महोदय, बस्तर संभाग, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. पुलिस उप महानिरीक्षक कांकेर रेंज कांकेर।
5. पुलिस अधीक्षक, जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
7. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
8. सर्व अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
10. उप संचालक, जनसंपर्क, कांकेर को सूचनार्थ एवं समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
11. सर्व तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी कांकेर को पालनार्थ।
12. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
13. सर्व थाना/चौकी प्रभारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
14. सर्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका/नगर पंचायत जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
15. अध्यक्ष चेम्बर ऑफ कॉमर्स, जिला उत्तर बस्तर कांकेर।


कलेक्टर

एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला उत्तर बस्तर कांकेर